राजस्थान सरकार

अभियोजन निदेशालय,राजस्थान, जयपुर

क्रमांक :-सं.3-6(6)स्था / पदोन्नति / अभि / 19 / 11061-71 दिनांक :- 12/11/21

पदोन्नति आदेश

राजस्थान अभियोजन सेवा नियम 1978 के नियम 09 के अन्तर्गत उप निदेशक अभियोजन के वर्ष 2018-19 के रिक्त पदो से भरने हेतु विभागीय पदोन्नति समिति की अनुशंसा पर श्री विजय सिंह पुत्र श्री छिद्दालाल के विरूद्ध 17 सीसीए की विभागीय जांच विचाराधीन होने के कारण इनका पदौन्नति का निर्णय सीलबंद लिफाफे में रखा गया था।

श्री बिजय सिंह का स्वर्गवास दिनांक 09.05.2021 को होने से गृह (ग्रुप-10) विभाग के आदेश दिनांक 30.07.2021 द्वारा इनका नाम अभियोजन सेवा संवर्ग से दिनांक 10.5.2021 विलोपित किया गया है तथा कार्मिक (क-3/जांच)विभाग के आदेश दिनांक 14.09.2021 के द्वारा श्री सिंह के विरूद्ध समसख्यक ज्ञापन दिनांक 13.11.2017 द्वारा प्रारम्भ की गई राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 17 के अन्तर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही को समाप्त किया गया है।

अतः उपरोक्त के फलस्वरूप कार्मिक विभाग की आई0डी0 संख्या 1273/ डीओपी/ए-2/21 दिनांक 11.11.2021 से प्राप्त टिप्पणी एवं कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 04.06.2008 के भाग-1 के बिन्दु संख्या 12.8 के प्रावधानुसार श्री विजय सिंह का वर्ष 2018-19 में पदौन्नति के संबध में सील बंद लिफाफा खोलते हुए इन्हें उप निदेशक अभियोजन के पद पर वर्ष 2018-19 में दिनांक 01.07.2018 को उपलब्ध रिक्ति के विरूद्ध पे मेट्रिक्स लेवल संख्या-18 में पदोन्नत किया जाता है।

sd/-
(चंचल मिश्रा)
निदेशक अभियोजन
राजस्थान जयपुर

प्रतिलिपिः-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्क कार्यवाही हेतु :-

1. जिला कलेक्टर-- अलवर।
2. निजी सचिव ,निदेशक अभियोजन ।
3. अतिरिक्त निजी सचिव ,अतिरिक्त निदेशक अभियोजन (न्याय) राजस्थान जयपुर ।
4. उप निदेशक अभियोजन ,जयपुर द्वितीय को भेजकर लेख है कि स्वंय के स्तर पर कार्यालय जिला कलेक्टर अलवर से सम्बन्धित आदेश की पालना करवाने की कार्यवाही करावे।
5. सहायक निदेशक अभियोजन, अलवर ।
6. श्रीमती विमलेश पत्नी स्व0 श्री विजय सिंह, अपर लोक अभियोजक--लक्ष्मणगढ --अलवर द्वाराः-- कार्यालय जिला कलेक्टर--अलवर।
7. निजी पत्रावली / रक्षित पत्रावली ।

12/11

निदेशक अभियोजन
राजस्थान जयपुर